न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 1039–तीन/05 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.5.05 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्र0क0 14/2003–04/निगरानी.

———

1. रनसिंह पुत्र महाराज सिंह
2. देवेन्द्र सिंह पुत्र महाराज सिंह
3. सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामरतन सिंह
4. मु. पारवती पत्नी रामरतन सिंह
   सभी निवासीगण गांव सगरा
   तहसील व जिला भिण्ड ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– जगपाल सिंह
2– अजीत सिंह
3– किशन पुत्रगण जीवनसिंह
4– गंगादेवी पत्नी मुलू सिंह
5– बृजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामरतन सिंह
   सभी निवासीगण गांव सगरा,
   तहसील व जिला भिण्ड ——— अनावेदकगण

———

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवरसिंह कुशवाह ।
अनावेदक कं. 1 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 07 मई 2015 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 14/2003–04/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20–5–05 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं आवेदकों द्वारा बंदोवस्त अधिकारी, भिण्ड के न्यायालय में एक आवेदन इस आशय का पेश कि कि बंदोवस्त के दौरान ग्राम सगरा स्थित विवादित आराजी जो कि शामलाती खाते की है में से अलग खाता बनाकर अनावेदकों का नाम दर्ज कर दिया है । बंदोवस्त अधिकारी ने प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की किंतु बंदोवस्त कार्य की समाप्ति पर बंदोवस्त अधिकारी द्वारा प्रकरण एस.डी.ओ. को अंतरिम किया । एस.डी.ओ. ने विचारण उपरांत यह पाया कि दोनों पक्षों की सहमति से बटवारा हुआ है दोनों पक्षों के परिवर्तन पंजी पर हस्ताक्षर हैं इसलिए आवेदकों का आवेदन सारहीन होने से निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अपर कलेक्टर, भिण्ड के न्यायालय में अपील पेश की जिसमें उन्होंने दिनांक 7–1–04 को आदेश पारित करते हुए प्रकरण पुनः जांच हेतु प्रत्यावर्तित किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने अधीनस्थ्ज्ञ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य द्वारा स्वीकार किया गया है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन सर्वे नं. 1564, 1569 आवेदकों ने महाराज सिंह से कय किये थे ऐसी स्थिति में उस पर अनावेदकों का नाम दर्ज नहीं किया जा सकता था । बंदोवस्त के दौरान आवेदकों को बिना सूचना दिए बाला–बाला तरीके से गलत बटवारा किया गया है । सर्वे नं. 1564, 1569 आवेदकों के कब्जे के हैं । अनावेदकों के नहीं है ना ही अनावेदकों का उक्त सर्वे नंबरों पर कभी कब्जा रहा । एस.डी.ओ. को पूर्ण जांच करना चाहिए थी जो नहीं की गई इसी कारण अपर कलेक्टर ने जांच हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया था । अपर कलेक्टर के आदेश में कोई वैधानिक त्रुटि न होते हुए भी अपर आयुक्त ने उनके आदेश को निरस्त किया है जो त्रुटिपूर्ण है ।

यह तर्क भी दिया गया कि अपर कलेक्टर के न्यायालय में अनावेदक क. 5 पक्षकार था परंतु अनावेदकों ने उसे अपर आयुक्त के न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया । अतः नॉन ज्वाईंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी के सिद्धांत के आधार पर भी अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी चलने योग्य नहीं थी और

उन्हें उसे इसी आधार पर निरस्त करना चाहिए था । इस कारण भी अपर आयुक्त का आदेश अवैध है ।

4/ अनावेदक क. 1 लगायत 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी द्वारा बटवारा सहमति के आधार पर किया गया था, बटवारे पर सह खातेदारों के हस्ताक्षर मौजूद हैं, ऐसी स्थिति में एस.डी.ओ. एवं अपर आयुक्त के आदेश उचित हैं और उन्हें स्थिर रखा जाना चाहिए । सर्वे नं. 2564, 1569 आवेद

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण बटवारे का है । अधीनस्थ न्यायालय ने सहमति के आधार पर आदेश पारित किया था इसके विरूद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं था इस पर से अपर कलेक्टर ने जो आदेश दिया उसको इस आधार पर अपर आयुक्त ने निरस्त किया है कि समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और जो विलंब है उसके संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया है । जहां तक अपर आयुक्त का यह कथन कि समवर्ती निष्कर्ष के संबंध में हस्तक्षेप जब तक निष्कर्ष दूषित न हों नहीं किया जा सकता, विधिनुसार है और उसकी पुष्टि की जाती है । जहां तक विलंब का प्रश्न है विलंब के संबंध में जिलाध्यक्ष के समक्ष कोई आपत्ति नहीं की गई इस कारण अपर अदालत में उसे उठाये जाने का कोई औचित्य नहीं है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह अपने स्थान पर उचित और न्यायिक होने से पुष्टि योग्य है । अतः उसको स्थिर रखा जाता है तथा निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर